कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-355/2023 दिनांक-05.11.2023

प्रेस नोट

थाना सरायमीर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05/11/2023 को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान नहर पुलिया के पास से अभियुक्त सैफुल्ला पुत्र जुम्मन निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/2023, धारा 9/25 आयुद्य अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरणः- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कार0 315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 317/2023, धारा 9/25 आयुद्य अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 0337/2022 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप थाना रानी की सराय जनद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 0215/2022 धारा 307, 420, 428, 467, 468, 471 भादवि थाना रानी की सराय जनद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 0216/2022,धारा 11 (1) (f), 11(1)(d) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण थान रानी की सराय आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-0217/2022,धारा 41, 411, 413,भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0- 0116/2022 धारा 379, 411 भादवि, थाना दीदारगंज आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0-0025/2022,धारा 380 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0- 317/2023 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सैफुल्ला पुत्र जुम्मन निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

दिनांक 04.11.2023 को उ.नि. विजय नारायण पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति फैजुल्लाहपुर मोड़ पर अम्बेडकर मूर्ती के पास एक एच.एफ. डीलक्स काले रंग की मो.सा. लिए खड़ा है मो.सा. में आगे पीछे नंबर प्लेट पर नम्बर नही लिखा है। नंबर प्लेटो पर पुलिस लिखा हुआ है उसकी मो.सा. की डिग्गी में नाजायज गांजा है जो किसी का इन्तेजार कर रहा है | इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड लिया गया । अभियुक्त ने अपना नाम रिंकू यादव अपने पिता का नाम रामचन्द्र यादव उर्फ रामचन्दर ग्राम बेलवारपार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष बताया और बताया कि मेरी मो.सा. की डिग्गी में नाजायज गांजा है जिसका कुल वजन 2 Kg 350 gm है। अभियुक्त को समय करीब 21.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रिंकू यादव पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामचन्दर यादव निवासी बेलवारपार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

2 किलो 350 ग्राम नाजायज गाँजा, 01 मोटर सायकिल एचएफ डीलक्स, 01 मोबाइल, 170 रूपया नगद

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 359/23 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- मु.अ.स. 271/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 332/333 भादवि थाना लार देवरिया

2- मु.अ.स.182/2021 धारा 5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 429 भादवि थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती

3- मु.अ.स. 128/2023 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती

4- मु.अ.स. 345/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ.नि. विजय नरायण पाण्डेय थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

उ.नि. राजबहादुर यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का0 अतुल कुमार शुक्ला थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का0 विजय यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना – कोतवाली
छिनैती का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक *3/11/2023* को वादी मुकदमा संजय पुत्र अशोक ग्राम खेरातपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी की पुरानी जेल के सामने फुटपाथ पर काजू-बादाम आदि की दुकान है, शाम को 03 व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान पर आये और सामान का भाव ताव करने लगे। उसी समय उपरोक्त *3* व्यक्ति, प्रार्थी के बैग मे रखा हुआ रुपया छिनने लगे लेकिन वह लोग छीन नहीं पाये और प्रार्थी के शोर मचाने पर आस पास के लोग आ गये। जिस पर उक्त तीनो व्यक्ति अपनी गाडी से भाग गये । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 0631 2023/धारा 393 भादवि0 दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्तो 1.श्याम लाल निषाद पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम नि0 असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, 2. तूफानी पुत्र प्रभू नि0 असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, 3. रवि यादव पुत्र शंकर यादव निवासी असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण– उ*0*नि*0* भगत सिंह मय हमराह को सूचाना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में प्राकश में आये 03 अभियुक्त सेहदा सर्विसलेन पुलिया के पास बैठ कर बात कर रहे है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल को देखकर 01 व्यक्ति मो*0*सा*0* स्टार्ट कर भाग गया तथा अभियुक्तो *1.* श्याम लाल निषाद पुत्र स्व*0* पुरूषोत्तम नि*0* असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र *40* वर्ष *2.* तूफानी पुत्र प्रभू नि*0* असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र *42* वर्ष को समय करीब *12.25* बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. श्याम लाल निषाद पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम नि0 असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. तूफानी पुत्र प्रभू नि0 असाधर पट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण–- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक *03.11.23* को शाम *06.30* बजे हम लोग आजमगढ़ शहर में फुटपाथ पर काजू आदि बेचने वाले दुकानदार से काजू खरिदने के लिये उसकी दुकान पर गए, देखे कि उसके बैग में रूपये हैं । हम लोगों की नियत खराब हो गयी और हम लोग उसका बैग छिनने लगे तभी वह व्यक्ति जोर जोर से शोर मचाने लगा। जिससे हम लोग डर के कारण भाग गए । बैग में रखे रूपये नहीं ले पाये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु*0*अ*0*सं*0 631/23* धारा *393* भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

.1 उ*0*नि*0* भगत सिंह चौकी प्रभारी सिविल लाइन थाना कोतवाली आजमगढ़

.2 हे*0*का*0* सुदर्शन यादव, का0 अभय राय, का0 कृष्णानन्द थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना सिधारी
दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 03.11.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अंकुर आजाद पुत्र अक्षय कुमार गौतम निवासी ग्राम जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो बना लिया और किसी से बताने पर फोटो वायरल करने, बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देने लगा जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 423/23 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट बनाम अंकुर आजाद पुत्र अक्षय कुमार गौतम निवासी ग्राम जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना सिधारी आजगमढ़ द्वारा किया जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.11.2023 को प्र0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंकुर आजाद पुत्र अक्षय कुमार गौतम निवासी ग्राम जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को हाइडिल चौराहा सिधारी से समय करीब 15.05 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजिकृत अभियोंग- मु0अ0सं0 423/23 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का नाम पता- अंकुर आजाद पुत्र अक्षय कुमार गौतम निवासी ग्राम जयरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह प्र0नि0, मय हमराह सिधारी आजमगढ़।

यातायात माह के पांचवें दिन यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में करीब ढाई सौ छात्र छात्राओं की करायी गई निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता।

आज दिनांक 5.11.2023 को यातायात माह के पांचवें दिवस अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया इसमें करीब ढाई सौ छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए।

➡यातायात जागरूकता प्रतियोगिता में महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ विद्यालयों के छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट, ने प्रतिभाग किया।

➡प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरुक करने के लिये पेंटिग बनायें व निबंध लिखे।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 451 वाहनों का चालान व 04 वाहन सीज ।

दिनांक- 05.11.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 101 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1999 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 451 वाहनों का चालान व थाना कोतवाली से 03 तथा थाना सिधारी से 01 वाहन सीज किया गया।